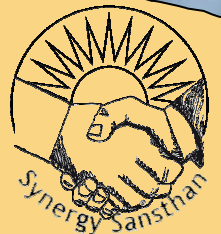


Annual Report

Year 2012-13



A-5, Pandit Deendayal Awasiya Parisar,
Near Railway Station, Harda
Phone: 07577-222089
Email: synergysansthan@gmail.com
Web address: www.synergysansthan.org



सिनर्जी संस्थान बच्चों के अधिकारों एवं युवाओं के साथ कार्य कर रही है। वर्ष 2012-13 में संस्थान ने बच्चों के साथ अपने अनुभवों का विस्तृत किया है। युवाओं के साथ एवं युवाओं के लिये कार्य करने की अवधारणा को और अधिक मजबूती प्रदान की है। सिनर्जी संस्थान की शुरुवात तीन युवाओं ने जमिनी स्तर पर कार्य करने से की थी। आज 21 युवा साथी सीधे रूप से संस्थान के साथ जुड़ कर बदलाव के लिये कार्य कर रहे हैं। हरदा जिले की परिस्थितियों का गहन अध्ययन इस वर्ष हो पाया है। जो कि आगामी कार्य योजना को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। पिछले वर्षों की चुनौतियों का सामना करते हुये, युवाओं ने सिनर्जी के सपनों को गढ़ा है। जिसमें मुख्य रूप से टिमरनी के युवा साथियों का बहुत योगदान रहा है।

इस वर्ष युवाओं के लिये युवा संसाधन केन्द्र की अवधारणा को मुर्त रूप प्रदान किया गया है जिसकी सहायता से युवा अपने स्वयं विकास एवं उद्यमिता विकास पर कार्य कर रहे हैं। जो कि अगामी दिनों में बदलाव के लिये कार्य करेंगे।

मैं यहाँ उन साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सिनर्जी के कार्यों में सीधे एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की है। उन संस्थाओं को अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने संस्थान के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं मदद की है।

यह वर्ष सिनर्जी के कार्यों के लिये बेहद ही अच्छा रहा है आशा करता हूँ कि सिनर्जी के सभी साथी पूर्ण निष्ठा के साथ सामाजिक बदलाव के लिये कार्य करते रहेंगे। आप सभी के लिये वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन सादर प्रेषित है। निश्चित ही आप सभी को सिनर्जी की गतिविधियाँ एवं अवधारणा स्पष्ट होगी। आपके सुझाव एवं फीडबैक संस्थान के लिये दर्पण का कार्य करेंगे।

इन्हीं आशाओं के साथ आपका साथी.....

— अजय

हमारे बारे में:-

सिनर्जी संस्थान युवा साथियों द्वारा गठित एक स्वैच्छिक संस्था है। संस्थान विगत 7 वर्षों से मध्यप्रदेश के हरदा जिले के पहुँचविहीन/दुर्गम अजा-अजजा बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक विकास हेतु कार्यरत है। समाज में बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए समुचित अवसर मिले, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, खेलने, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के उचित अवसर मिले तथा उन्हें अपने अधिकार प्राप्त हो साथ ही युवाओं को स्वविकास एवं सक्रिय नागरिकता हेतु कार्य तथा युवाओं को मैं से हम की यात्रा जिससे वह समाज से अपने आप को जोड़ पाएँ एवं उन्हें सामाजिक उद्यमी बनाने हेतु जमीनी स्तर पर कार्यरत है। पिछले सात वर्षों में संस्था ने प्रमुख रूप से बाल अधिकार एवं विकास, युवा सामाजिक उद्यमिता पंचायतराज एवं महिला नेतृत्व, आपदा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य, के मुद्दों पर प्रमुख रूप से कार्य किया है। संस्थान ने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समुदाय आधारित विकास, अधिकारों की जागरूकता, पैरवी, प्रशिक्षण आदि को अपने कार्यों में प्रमुख रूप शामिल किया है।

विजन

एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहाँ सभी स्वस्थ, शिक्षित, शोषण से मुक्त, समान, एवं शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें।

मिशन

प्राकृतिक संसाधनों एवं स्थानीय संस्थाओं के विकास की सघन सहभागी प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए, विशेषकर बच्चों, युवा एवं महिलाएं जो कि गरीब, वंचित, सुदूर एवं पहुँच विहीन क्षेत्रों के हैं उनके साथ कार्य करना।

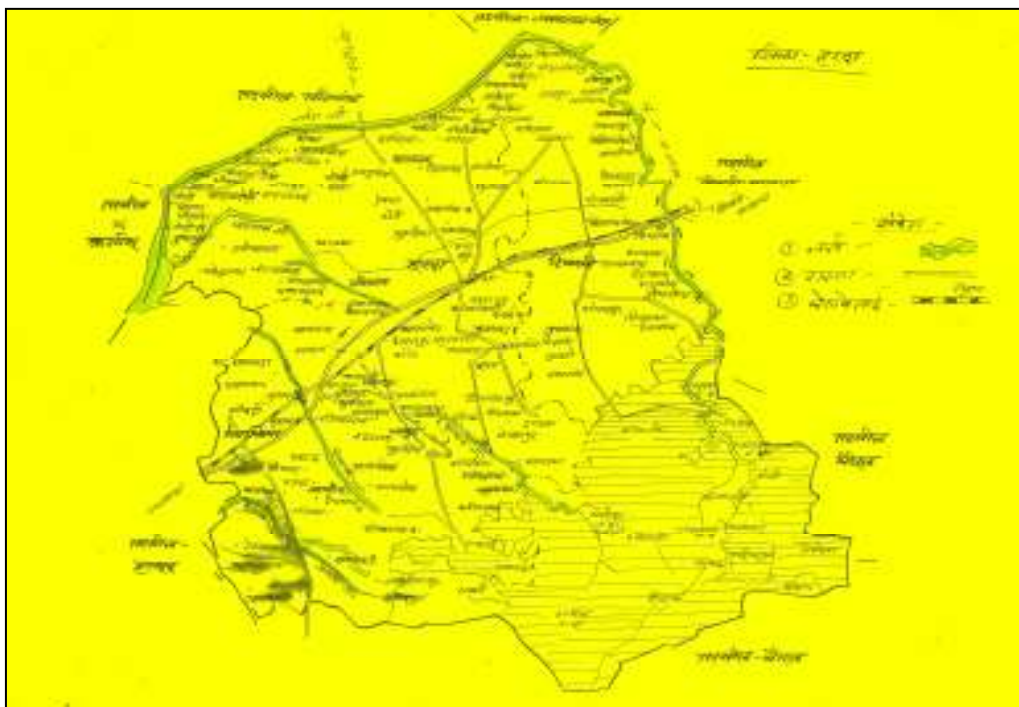
मुख्य उद्देश्य

1. बाल अधिकारों की पैरवी करते हुए बाल विकास के मॉडल तैयार करना।
2. युवा सक्रिय नागरिकता, युवा विकास एवं युवा सामाजिक उद्यमिता के लिए एक प्लेटफार्म संस्था के रूप में कार्य करना।
3. आपदा प्रबंधन एवं पुर्नवास के क्षेत्र में कार्य करना।
4. महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य करना उसमें भी विशेषकर पंचायत राज की चयनित महिला जनप्रतिनिधियों को सक्रिय करना।
5. स्वास्थ्य के मुद्दे पर समुदाय की भागीदारी बढ़ाने एवं स्वास्थ्य के अधिकारों पर कार्य करना।
6. समाज को सुसंगठित करना, सक्रिय नागरिक बनाना एवं राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना।

संस्था की वैधानिक जानकारी

- सोसाईटी पंजीयन अधिनियम 1973 अंतर्गत पंजीकृत: पंजीयन क्रमांक **09249**
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा **12A** के अंतर्गत पंजीकृत पंजीयन क्रं. **CIT-I/Ind/Tech/12A/30/08-09**
- Registered under Foreign Contribution (Regulation) Act 2010, Registration number: **063300116**
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा **80 G** के तहत पंजीयन क्रमांक **CIT-I/Ind/Tech/80G/2009-10**

Map of working area-Harda



पृष्ठभूमि

हरदा जिले के बारे में

हरदा जिला मध्यप्रदेश के मध्य में स्थित है। जिला प्रदेश की राजधानी भोपाल से 150 किमी एवं व्यवसायिक राजधानी इन्दौर से 140 किमी की दूरी पर है। हरदा शहर से राष्ट्रीय राजमार्ग 59 और मुंबई-दिल्ली रेलमार्ग गुजरता है।

जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि उत्पादन में जिले की तुलना पंजाब के उत्पादन से की जाती है। जिले में लगभग 70 प्रतिशत भूमि सिंचित है। गेहूँ और सोयाबीन उत्पादन के औसत में हरदा जिला प्रदेश में अव्वल है।

जहाँ एक ओर कृषि में जिला अव्वल है वहीं दूसरी तरफ जिले में लगभग हरदा में 142536 हेक्टेयर भूमि में वनों का विस्तार है। 50 प्रतिशत वन भूमि में सागौन के वन हैं। 67 प्रतिशत आरक्षित वन हैं 44218 हेक्टेयर वन संरक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं।

संस्थान के द्वारा बाल अधिकार प्रणित पद्धति से कार्य किया जाता है। संस्थान 0 से 18 वर्ष के व्यक्ति को बच्चा मानती है। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं व्यापक प्रचार हेतु संस्था कार्यरत है। बच्चों के हित को प्रथम रखते हुये संस्थान बच्चों से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर कार्यरत है। प्रत्येक बच्चों को उनसे संबंधित अधिकार सुनिश्चित हो इस अवधारणा के साथ कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। संस्थान बाल अधिकार संधी को पूर्ण रूप से मानती है। भारतीय संविधान अनुसार बच्चों के जो मौलिक अधिकारों हैं, जिन्हें सुनिश्चित करने हेतु संस्थान संकल्पित है।

चाइल्ड लाइन परियोजना

संस्थान ने मई 2012 में चाइल्ड लाइन इंडिया फाउण्डेशन, मुंबई के सहयोग से हरदा जिले में बच्चों के लिए एक 24 घंटे चलने वाली, टोल फ्री फोन सुविधा प्रारंभ की है। यह परियोजना मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु 1098 टोल फ्री नंबर इमरजेंसी सेवा के लिए है। कोई भी बच्चा इस नंबर पर फोन करके दिन और रात में कभी भी सेवा ले सकता है। इस कार्यक्रम में बच्चों की सुरक्षा एवं पुनर्वास की बात भी की जाती है।

लक्षित समूह

गुमशुदा बच्चे
शोषित बच्चे
घर से भागे
बल श्रमिक
चिकित्सा की सहायता वाले
ऐसे सभी बच्चे जिन्हें संरक्षण एवं देखभाल की आवश्यकता है



बालिका मिली

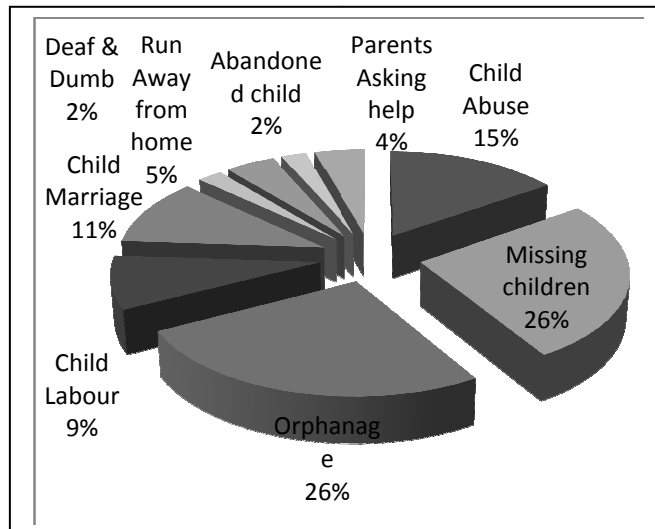
यह कहानी हरदा जिले के खिरकिया विकास खण्ड के ग्राम मक्तापुर में मिली 4 माह की बालिका की है। आशा कार्यकर्ता के बताये अनुसार बालिका सड़क किनारे पन्नी में बंद पायी गयी थी। बालिका की जानकारी कोटवार के माध्यम से ग्राम पंचायत मक्तापुर तथा घटना की पूर्ण जानकारी पुलिस थाना छिपावड को दी गयी। पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा बालिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिरकिया लाया गया। बालिका का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक इलाज किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खिरकिया के कर्मचारियों द्वारा बालिका का इस घटना की जानकारी चाइल्ड लाइन हरदा को मिलते ही बालिका को सदस्य द्वारा बालिका को हरदा लाया गया। बालिका का नाम मिली रखा गया। बालिका मिली को बालकल्याण समिति हरदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बालिका मिली को बालकल्याण समिति हरदा के आदेशानुसार बालिका गृह भोपाल को सौंपा गया। बालिका गृह भोपाल द्वारा बालिका को दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर दत्तक माता पिता को सौंपा गया। बालिका मिली वर्तमान में अपने दत्तक माता पिता के साथ भोपाल में रह रही है।

Children we help them through helpline

Total Intervention- 50				
Category wise Details				
Child Abuse	Missing children	Orphanage	Child Labour	Child Marriage
4	12	8	2	1
3		4	2	4
Deaf & Dumb	Run Away from home	Abandoned child	Parents Asking help	
1	2	1	2	

सजा.....

यह घटना फाइल वार्ड कालोनी में रहने वाली 10 वर्षीय बालिका कोमल (परिवर्तित नाम) की है। कोमल अपने घर के नजदिक स्थित प्राथमिक शाला की कक्षा 5 में पढती है। कोमल के पिता रेल्वे स्टेशन पर हिमाली का काम करते है। कोमल के पिता और कोमल घर के आगे वाले कमरे में सो रहे थे। कोमल की मां घर के अंदर वाले कमरे में सो रही थी। कोमल के पिता सुबह लगभग 3.30 बजे काम के लिए चले गये। कोमल को अकेला सोता देख कोमल के घर के पास ही रहने वाले युवक ने कोमल के साथ शारीरिक लैंगिक शोषण करने की कोशिश की। बालिका द्वारा विरोध करने चिल्लाने की आवाज सुनकर कोमल की मां कमरे में आई। कोमल की मां को देखकर युवक भाग गया। कोमल की मां ने घटना की जानकारी कोमल के पिता को फोन पर दी। घटना की जानकारी मिलते ही कोमल के पिता रिपोर्ट दर्ज करने कोमल और अपनी पत्नी के साथ पुलिस चौकी गये। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने पर कोमल की मां ने चाइल्ड हेल्प लाइन नं. 1098 पर फोन कर घटना की जानकारी दी। चाइल्ड लाइन हरदा द्वारा कोमल के घर जाकर घटना की पूर्ण जानकारी ली गयी। चाइल्ड लाइन की मदद से बालिका के माता-पिता ने फाइल वार्ड में ही रहने वाले युवक दाऊद के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस द्वारा घटना के दो दिन के पश्चात दोषी युवक को गिरफ्तार किया गया। दोषी युवक दाऊद को कुछ दिनों के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया। बाद में मामले की सुनावाई करते हुए कोर्ट द्वारा युवक को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई गयी।



We would have shown
you a picture of her crying.
But she doesn't
do that any more.



Dial 1098. Help us help children in distress.



हरदा शहर में जरूरतमंद बच्चों के लिए खुला आश्रय

खुला आश्रय केन्द्र बच्चों का घर है। जहाँ वह बच्चें रह सकते हैं जो कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले हैं। खुला आश्रय केन्द्र एक ब्रिज के समान है जो कि जरूरतमंद बच्चों को उनके सर्वोत्तम हित से जुड़ाव करवाता है।

लक्ष्य समूह

शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्र में देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले सभी बच्चों के विशेषतया भिखारियों आवास तथा कामकाजी बच्चों, कुड़ा बीनने वाले बच्चों, छोटे विक्रेताओं, तमाशा दिखाने वाले बच्चों, अनाथ बच्चों, परित्यक्त बच्चों, अवैध व्यापार में लगाए गए तथा भागे हुए बच्चों, प्रवासी लोगो के बच्चों तथा किसी अन्य संवेदी समूह के बच्चों के लिए होंगे।

उद्देश्य

1. बच्चों के उपरोक्त लक्षित समूह को उनकी वर्तमान संवेदी जीवन स्थिति से एक सुरक्षित माहौल की ओर आकृष्ट करना
सतत् हस्तक्षेपों द्वारा इन बच्चों को संवेदी स्थितियों से दूर ले जाना
2. इन बच्चों को उच्च जोखिम तथा सामाजिक रूप से विपन्नकारी व्यवहारों से हटने के लिए मार्गदर्शित करना
3. शिक्षा के लिए अवसरों की व्यवस्था करना तथा उनकी क्षमताओं एवं योग्यता का विकास करना।
4. उनके जीवन कौशल को बढ़ाना तथा शोषण के प्रति संवेदनशीलता को कम करना।
5. इन बच्चों को परिवारों, वैकल्पिक देखभाल तथा समुदाय में पुनः एकीकृत करना
6. यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित अनुवर्तन करना कि बच्चें संवेदी स्थितियों से वापस न लौटें।

संपर्क स्थल सह गतिविधि केन्द्र

हरदा शहर की दुध डेयरी, फाईल वार्ड एवं विकास नगर बस्तियों में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाल संपर्क सह गतिविधि केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। केन्द्र के माध्यम से देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का चिंहांकन एवं खेलकुद, शिक्षा, नैतिक शिक्षा की कक्षाएँ नियमित होती हैं।



दादी के साथ वृद्धाश्रम में रहता था.....

जालिम उसकी दादी के पास रहता था। वह होटल में काम करता था। दादी के पास भी कोई कमाने वाला नहीं था उसको वृद्धा पेशन में घर का सारा खर्च चलाना पड़ता है। जालिम के पिता को किसी मामले में जेल में है और माता कि मृत्यु हो गई है। परिवार की स्थिति बेहद खराब है। दादी का कहना है कि बच्चे कि अभी पढ़ने कि उम्र हैं और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ उनका नाम स्कूल में दर्ज कराना चाहती हूँ। बच्चे को खाने पीने कि व्यवस्था हो जाय और उसको आश्रय मिल जाय ताकि वहा रहकर बच्चा पढ़ाई कर सके। आज जालिम बालश्रम से मुक्त होकर खुले आश्रय केन्द्र में रहते हुए अपनी शिक्षा पूरी कर रहा है। जालिम की ही तरह सुरक्षा, संरक्षण एवं देखरेख की आवश्यकता वाले 25 बच्चे इस केन्द्र से लाभान्वित हो रहे हैं।

पहल: निराली शाला का संचालन शहर की दुध डेयरी बस्ती में किया जा रहा है। केन्द्र अक्टूबर 2010 में चलाया जा रहा है।

समस्या: दूध डेयरी बस्ती में लगभग 700 परिवार निवास करते हैं, बस्ती में ज्यादातर मुस्लिम एवं बंजारा समुदाय के लोग निवास करते हैं। बस्ति निवासियों का कोई स्थायी आजीविका के साधन नहीं है, ज्यादातर परिवार के सदस्य खुली मजदूरी करते हैं। संस्था ने सर्वेक्षण के माध्यम से जाना कि ज्यादातर बच्चें कामकाजी हैं जो कि होटल, ढाबो, किराना दुकान, सायकल दुकान, कचरा बीनना आदि कार्य में लगे रहते हैं। इनमें भी ज्यादातर बालिकाएँ विद्यालय नहीं जा पाती हैं। बालिकाएँ घर में छोटे बच्चों को संभालना, घर के काम-काज, बर्तन-कपड़े धोने जाना आदि कार्यों में लगी रहती है।

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य:

सृजनात्मक एवं खेल पद्धति के द्वारा बस्ती के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तैयार करना एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।

इन बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण एवं खेलकुद संबंधी सर्वांगीण सुविधाएं उपलब्ध कराना।

बच्चों की सामान्य शिक्षा और आवश्यक मनोसामाजिक बदलाव हेतु कार्य करना।

सामुदायिक कक्षाओं के द्वारा विद्यालय में नामांकित, अनियमित, अप्रवेशी एवं शालात्यागी बच्चों को शिक्षा को अनवरत् बनाने के लिए सहयोग करना।

उपलब्धियाँ:

- 10 बच्चे बालश्रम से मुक्त कराकर स्कूल से जोड़ा।
- 13 शालात्यागी बच्चों को विद्यालये से जोड़ा।
- 61 बच्चे केन्द्र से जुड़कर नैतिक शिक्षा एवं शिक्षा गतिविधियों का लाभ ले रहे हैं।
- बस्ती के दो बच्चे बाल अधिकार संदर्भ केन्द्र एक्शन एड के राज्य स्तरीय बाल फोरम के सदस्य।

चुनौतियाँ: इस कार्यक्रम को कोई वित्तीय सहयोग नहीं मिल पाने के कार्यक्रम को शहर की अन्य बस्तियों में प्रारंभ नहीं किया जा सका है। वित्तीय अनियमितता के चलते कार्यक्रम में थोड़ी अनियमितता होती है।

वर्ष में बाहरी संस्थाओं का भ्रमण: केन्द्र पर गत वर्ष एक्शन एड से नरेन्द्र शर्मा एवं अनामिका जी, प्रदान संस्था से 4 साथी साथ ही चाइल्ड लाइन इंडिया फाउण्डेशन की शेरोन डेनियल सहित कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भ्रमण किया और कार्यक्रम की सराहना की है।



मुस्कान फिर मुस्काई

मेंरा नाम मुस्कान है। मेंरे पिताजी नहीं है। केन्द्र से जुड़ने से पहले मैं अपने छोटे भाई-बहनो की देखरेख एवं घर के कार्यों में लगे होने के कारण विद्यालय में नाम होने के बाद भी शिक्षा से वंचित थी। मैं भी अन्य बच्चो की तरह स्कूल जाना चाहती थी, खेलना चाहती, अपने मन की बातों को रखना चाहती है। निराली शाला ने मेंरे सपनो को पूरा किया है। केन्द्र पर पढ़ाई, बाहर घुमने जाना, खेलकूद, नैतिक शिक्षा, सृजनात्मकता आदि होता है। अब तो मैं एक्शन एड के बाल अधिकार संदर्भ केन्द्र द्वारा बनाये गये बच्चो के राज्य स्तरीय नेटवर्क की सदस्य भी हूँ। मैं भोपाल बैठक में जाती हूँ और अपनी बात भी रखती हूँ।

जिला बाल अधिकार मंच

संस्था के द्वारा हरदा जिले में जिला बाल अधिकार मंच, हरदा के नाम से गत 3 वर्षों से एक संगठन का संचालन किया जा रहा है। जिसमें जिले के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, अधिवक्ता, शिक्षक, स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य आदि शामिल हैं। यह संगठन नियमित बैठक कर हरदा जिले के बच्चों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं तथा जहाँ आवश्यकता महसूस होती है वहाँ बच्चों के मुद्दों को प्रशासन एवं समुदाय स्तर पर उठाने का प्रयास करते हैं। यह मंच चाइल्ड राइट ऑब्जरवेटरी भोपाल जो की युनिसेफ म.प्र की पहल है के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

मंच से जुड़ी संस्थाएँ

1. सिनर्जी संस्थान (समन्वयक संस्था)
2. अंबेडकर विचार मंच
3. समावेश
4. जय भारत भारती
5. निरंतर
6. एकलव्य
7. विजय युवा विकास संस्थान
8. एड इट एक्शन
9. हस्तकला
10. नेहरू युवा केन्द्र



उपलब्धियाँ

- 10 विद्यालयों में स्कूल फोरम का गठन
- बच्चों के मध्य बाल श्रम एवं बाल विवाह पर चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन
- शिक्षा के अधिकार पर प्रशिक्षण जिले के 200 लोगों का
- बाल श्रम एवं बाल बंधुआ मजदूर के विषय पर उन्मुखीकरण
- बच्चों के सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन



स्वरचना कार्यक्रम

युवाओं के स्व विकास का विषय संस्था के प्रमुख विषयों में से एक रहा है। जनगणना 2011 के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि हमारे देश में वर्तमान में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और आने वाले समय में और अधिक होना है। युवाओं की बढ़ती जनसंख्या जहाँ एक ओर देश के लिए भी सोच का विषय है, वहीं युवाओं में तनाव, आत्महत्या, रोजगार के अवसरों में कमी आदि विषय गंभीर हैं।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संस्था ने प्रवाह संस्था दिल्ली, मिलान लखनऊ तथा शहर मुंबई के साथ मिलकर हरदा शहर में एक युवा स्व विकास तथा उद्यमिता विकास केन्द्र की शुरुआत गत वर्ष में की है।

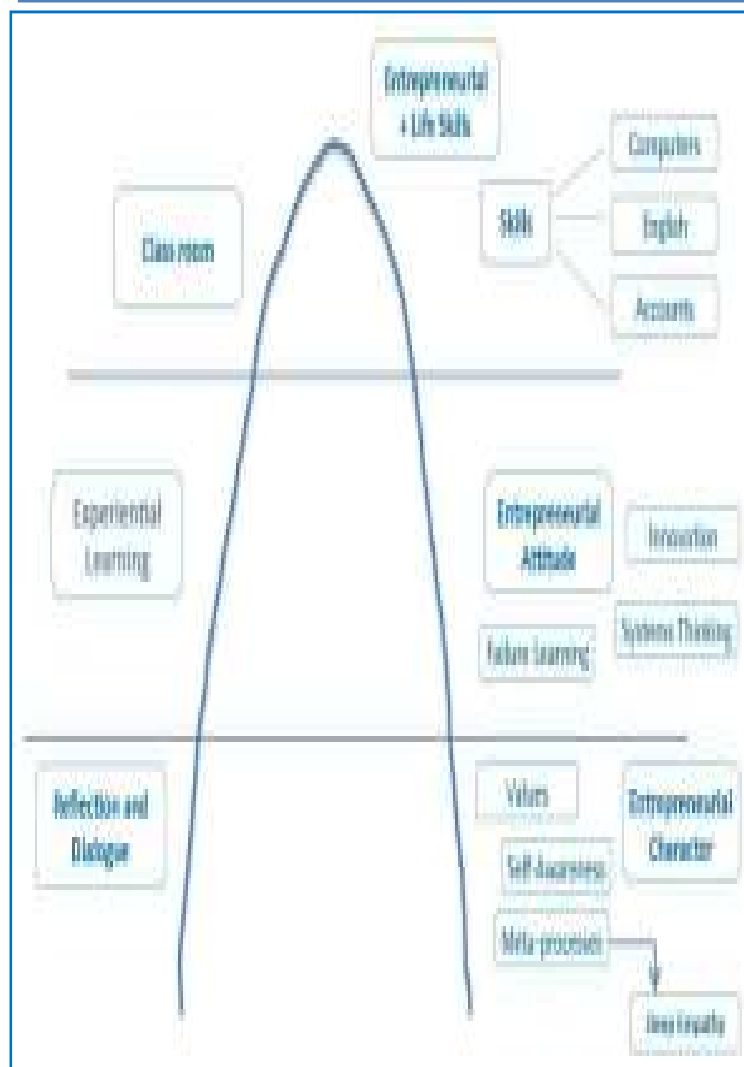
इस केन्द्र के माध्यम से युवाओं में स्व विकास, उद्यमिता व रोजगार संबंधी कौशल का विकास कर सके तथा सकारात्मक उर्जा के साथ समाज के साथ जुड़ाव कर पाये की प्रक्रियाएँ की जा रही है। इस हेतु तीन माह का एक कोर्स डिजाइन किया गया है।

परियोजना के माध्यम से 18 से 28 वर्ष के युवाओं जो कि विशेषकर आदिवासी, दलित, मुस्लिम एवं महिला वर्ग के हो को शामिल किया जा रहा है।

केन्द्र से अब तक 30 युवाओं को जोड़ा जा चुका है।

दिल्ली मुंबई से अच्छा मेरा हरदा

मेरा नाम प्रीति भास्कर है। मैं टिमरनी में रहती हूँ। हरदा से मैंने स्नातक किया और भोपाल चली गई। वहाँ से मैंने समाज कार्य की पढाई की। काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई और आगरा तक गई। वहाँ नौकरी भी की और उसमें पैसे भी ठीक थे। लेकिन मेरा मन न लगा। भीड़ में अकेले होने के अहसास और नीरस व उबाऊ काम ने मुझे वापस हरदा आने पर मजबूर किया। यहाँ मैं सिनर्जी संस्था के विमल भाई से मिली। उन्हें मैं पहले से जानती थी। काम के बारे में पूछने पर उन्होंने मुझे युवाओं की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा। वह प्रवाह संस्था की ओर से आयोजित थी। यह ट्रेनिंग अजमेर में हुई। लेकिन मैं तत्काल नौकरी चाहती थी। मुझ पर परिवार का दबाव था और मुझे भी यही लग रहा था। सिनर्जी संस्था में आने के बाद मैंने जबलपुर में आशा ट्रेनर की ट्रेनिंग ली। आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करने लगी। लोगों से बातें करना, उनकी समस्याएँ जानना और उनकी मदद करना, मुझे हमेशा से अच्छा लगता था। यह मेरे मन का काम था। यहाँ एक ओर मुझे नए- नए काम करने और सीखने का मौका मिल रहा था। साथ ही ऑफिस के साथ फील्ड पर जाकर काम करने का अवसर भी मिल रहा था। फिर मुझे यहाँ के दोस्ताना, पारिवारिक व बराबरी के व्यवहार ने भी काफी प्रभावित किया। अब मैं युवाओं के बीच काम कर नई ऊर्जा महसूस कर रही हूँ।





मेरा नाम विशन देवड़ा है। मैं टिमरनी विकासखण्ड के एक आदिवासी ग्राम उमरधा का रहने वाला हूँ। मुझे एक्सपोजर पर नर्मदा बचाओ आंदोलन को देखने का अवसर मिला। इस एक्सपोजर के माध्यम से मैंने समझा कि हम वास्तव में जब तक किसी कार्य को करके नहीं देखेंगे तब तक पूरी तरह समझ नहीं पायेंगे। इस एक्सपोजर में हमारे साथ 3 राज्यों के युवा साथी भी थे। हमने एक दुसरे के मध्य समन्वय बनाकर समूह से कैसे सीख सकते हैं इसे बखूबी समझा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संगठन से मुझे मिलने का मौका मिला और उनके बीच उन्हीं के गांवों में रुककर उनकी समस्याओं को गहराई से जाना। इस संगठन की एकता और लड़ाई के जज्बे से मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। मेरे स्व विकास के लिए यह एक्सपोजर बहुत ही मददगार था।

उमरधा में पुस्तकालय

पिछले 3 साल से यहां पुस्तकालय चल रहा है। इसे आदिवासी युवक रामप्रसाद चला रहे हैं। इसमें शासकीय योजनाओं की जानकारी वाली पुस्तकें, किताबें, पत्रिकाएं और दैनिक समाचार पत्र उपलब्ध हैं। इसमें बच्चे और युवा पढ़ने आते हैं। इससे जानकारी प्राप्त कर गांव के कुछ लोगों ने बकरी के लिए ऋण लिया। इसी प्रकार स्कूल में स्कूल, मध्याह्न भोजन और बिजली की स्थिति में भी सुधार हुआ है। ग्रामीणों को अपने अधिकारों की जानकारी भी मिल रही है। पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्रामसभा के बारे में ग्रामीणों ने इसी पुस्तकालय से जाना। इस पुस्तकालय की शुरुआत सिनर्जी संस्था की मदद से हुई। इसके संचालक रामप्रसाद सिनर्जी से जुड़े हैं और गांव के विकास में योगदान कर रहे हैं।

महिला नेतृत्व एवं स्वशासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप

महिला नेतृत्व एवं स्वशासन संस्था के प्रमुख कार्यों में से एक विषय हमेशा से रहा है। हमारी आबादी की आधी जनसंख्या महिलाएँ हैं। महिलाओं को सत्ता में भागीदारी एवं उनके नेतृत्व क्षमता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। हरदा एवं आसपास के जिलों में सामन्तशाही जातियाँ भी निवास करती हैं जो कभी नहीं चाहती कि वंचित तबके

जैसे आदिवासी एवं दलित समुदाय सहित महिलाएँ आगे आएँ। संस्था ने विगत पंचायत चुनावों के पूर्व से महिला नेतृत्व को एक विषय के रूप में



शामिल किया और महिला जन प्रतिनिधियों के क्षमता वर्द्धन सहित उनके साथ होने वाले अत्याचार, धारा 40 जैसी कार्यवाही के खिलाफ खड़े होने जैसे विषय पर पेरवी का कार्य प्रमुख रूप से किया है।

महिला जनप्रतिनिधि क्षमतावर्द्धन

गत वर्ष संस्था ने 10 पंचायतों की लगभग 30 महिला जनप्रतिनिधियों को पंचायतराज अधिनियम, मनरेगा, निर्मल भारत अभियान सहित योजनाओं



की जानकारी। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली सहित सचिव, पंचों की भूमिका, घरेलू हिंसा कानून पर प्रशिक्षित करने का कार्य लगातार किया है। इसके साथ ही संस्था ने पंचायतराज की महिला जनप्रतिनिधियों के सहयोग समूह के रूप में स्व सहायता समूह के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की। इस वर्ष 5 स्व सहायता समूहों का निर्माण किया गया।

मीडिया कार्यशाला

पंचायतों में महिलाओं के नेतृत्व में किये जा रहे अच्छे कार्यों साथ ही उनके सामने आने वाली चुनौतियों



को समाज एवं सरकार के सामने लाने हेतु पंच-सरपंच एवं मीडिया संवाद कार्यक्रम हमारे कार्यों का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। गत वर्ष 2 मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें महिलाओं ने खुलकर अपनी समस्याएँ एवं अपने दम पर कराये कार्यों को मीडिया के माध्यम से समाज के सामने रखा।

धारा 40 के विरुद्ध अभियान

महिलाओं, दलित एवं आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को हटाने के लिए पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 का दुरुपयोग समाज के दंबग व्यक्तियों द्वारा किया जाता रहा है। इस दुरुपयोग को रोकने हेतु जागरूकता कार्यक्रम तथा विषय पर संगोष्ठी सहित हस्ताक्षर अभियान आदि धारा 40 के विरोध में किये गये।

स्वास्थ्य में सामुदायिकरण

क्षय नियंत्रण एवं रोकथाम

संस्थान द्वारा हरदा जिले में लेप्रा इंडिया के सहयोग से अक्षय परियोजना का संचालन किया जा रहा है। अक्षय परियोजना ग्लोबल फंड राउंड 9 के सहयोग से पूरे भारत वर्ष में चलाई जा रही है।

परियोजना के प्रमुख लक्ष्य

क्षय रोग से होने वाली बीमारी एवं मृत्यु की संख्या में



कमी लाना साथ ही गुणवत्तापूर्ण क्षय रोग की सेवाएँ उपलब्ध हो तथा समुदाय में क्षय रोग को लेकर जागरूकता आये इस लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण एवं क्षय रोग को लेकर संवेदनशील समूहों की क्षमता एवं जागरूकता में वृद्धि करने जिससे क्षय रोग पर नियंत्रण किया जा सके।

परियोजना की प्रमुख गतिविधियाँ

Name of activity	No of days the programs were organized	No of Persons attended	No of villages covered	No of sites covered	No of items printed and distributed
Pamphlets distribution	1	250	0	15	250
Sputum collection and transport			150		
Community Meetings	110	3000	110	110	220
TB Awareness Rath	13	5500	56	137	5000
Quiz, Street play	11	1200	-	-	1000

Exhibition display	1	350	0	0	500
Wall painting	0	0	110	0	0
NSS student sensitization	1	80	0	0	200
AWW Sensitization	1	150	150	0	1500
ASHA Senitization	1	56	56	0	200
Canopy Display	2	300	0	0	300
Flex Display	3	0	0	0	0
Essay wirting on TB	1	40	0	0	0

उपलब्धियाँ: 150 ग्रामो से 510 खंखार संग्रहित किए गये। संग्रहित खंखार से 41 क्षय रोग के पॉजिटिव व्यक्ति मिले। सभी पॉजिटिव व्यक्तियों की डॉट्स प्रारंभ कराई गई।



जिला मुख्यालय से लगभग 65 कि.मी. की दूरी पर स्थित ग्राम टेमरुबहार, टिमरनी विकासखण्ड का एक छोटा सा बनग्राम है जिसकी जनसंख्या 650 के लगभग है, टेमरुबहार मुख्यतः आदीवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से गोंड एवं कोरकू जनजाति के लोग निवास करते हैं। अक्षय परियोजना के अन्तर्गत ग्राम टेमरुबहार से 05 कि.मी. की दुरी पर स्थित ग्राम राजाबरारी में खंखार संग्रहण केन्द्र खोला गया है, केन्द्र का संचालन संस्था के स्वयंसेवक रामकिशोर उइके द्वारा किया जाता है। रामकिशोर को ग्राम टेमरुबहार का भ्रमण के दौरान रतन से भेंट हुई। रतन को पिछले 20 दिनों खांसी की समस्या थी। रामकिशोर द्वारा रतन को तुरंत ही खंखार के नमूने लेने के लिए कन्टेनर दिया और सुबह का बलगम निकालकर कन्टेनर में रखने हेतु कहा गया। खंखार को जांच केन्द्र रहटगांव लाकर जांच के लिए दिया गया। परिणाम आने पर पता चला कि रतन को टी.बी. है। इसके पश्चात रतन को ग्राम की आशा कार्यकर्ता की निगरानी में स्वास्थ्य केन्द्र रहटगांव के माध्यम से डाट्स के कटेगरी 1 का उपचार शुरू कराया गया। संस्था द्वारा ली जा रही है या नहीं इसका लगातार फॉलो अप किया गया। अब रतन के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। इसी तरह संस्था ने 510 संदिग्ध खंखार का संग्रहण कर जांच कराई एवं 41 पॉजीटिव मरीजो को डॉट्स प्रारंभ कराई गई एवं फॉलोअप किया जा रहा है।

आशा प्रशिक्षण

संस्था विगत 4 वर्षों से जिले में आशाओ (Accrediate Social Health Activist under NRHM) के क्षमतावर्द्धन का कार्य कर रही है। गत वर्ष भी आशा प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण जिले की आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण कर ग्राम स्वास्थ्य को मजबूत करने की कड़ी में कार्य किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी कई विषयों पर प्रशिक्षण किया गया है जिससे की जिले की मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके साथ ही जिले में बीमारियों की रोकथाम एवं फैलाव के नियंत्रण पर मजबूती से कार्य किया जा सके।



किए गए प्रशिक्षण



प्रशिक्षण मॉड्यूल	कार्यक्षेत्र	आशाओ की संख्या	विषय
आशा सहयोगिनी	संपूर्ण हरदा जिला	जिले की 29 सहयोगिनीयों का प्रशिक्षण	सपोर्टिप सुपरविजन, निगरानी, समन्वय, रिपोर्टिंग।
मॉड्यूल 6-7 प्रथम चरण	संपूर्ण हरदा जिला	जिले की 60 आशा ओ का प्रशिक्षण	हाथ धोना, थर्मामीटर मापना, वजन लेना, कंबल में बच्चे को लपेटना, बच्चे को वार्म बैग में रखना, प्रसव साथी की भूमिका, सुरक्षित प्रसव, एनीमिया, निश्चय कीट का उपयोग इत्यादि
मॉड्यूल 6-7 द्वितीय चरण	संपूर्ण हरदा जिला	जिले की 307 आशा ओ का प्रशिक्षण	कुपोषण, बुखार, गर्भावस्था फार्म , कोशल इत्यादि।

संस्था के जिला स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स (एनआएचएम राज्य शासन से प्रशिक्षण प्राप्त)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा आशा, उषा एवं आशा सहयोगिनी के विभिन्न चरणों के प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षक तैयार किये गये हैं। संस्था के पास अलग-अलग चरणों पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए कार्यकर्ता हैं।

क्रमांक	मॉड्यूल	प्रशिक्षक
1	5	3
2	6-7 प्रथम एवं द्वितीय चरण	8
3	6-7 तृतीय चरण	5
4	उषा कार्यकर्ता प्रशिक्षक	2
5	आशा सहयोगिनी प्रशिक्षक	2

अन्य हस्तक्षेप

असर प्रोग्राम

शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन जोकि प्रथम संस्था द्वारा संपूर्ण देश में प्रति वर्ष किया जाता है। इस अध्ययन में संस्थान गत तीन वर्षों से जुड़कर अध्ययन का भाग रही है। इस कार्यक्रम में संस्था प्रत्येक वर्ष हरदा जिले में युवाओं के माध्यम से अध्ययन करती है। इस कार्यक्रम में 30 युवाओं के माध्यम से जिले के 30 ग्रामों में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बच्चों का शिक्षा के स्तर का अध्ययन किया जाता है।



इंटरनशीप कार्यक्रम: संस्था युवाओं को स्व से समाज की यात्रा हेतु इंटरनशीप कार्यक्रम का संचालन करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष 4 युवा साथी प्रदान संस्था से तथा एक दिल्ली युनिवर्सिटी की छात्रा 15 दिनों के लिए संस्था के भ्रमण पर आई। कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को उनकी रुचि से संबंधित विषय के साथ जोड़कर सीखने के अवसर प्रदान किये जाते हैं। इस दौरान युवा साथी कई प्रोजेक्ट पर भी कार्य करते हैं।



इंडिया फॉर सेफ फूड अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश में किये गये कार्यक्रम

(रसायन मुक्त, जी.एम. मुक्त, सुरक्षित भोजन हमारा अधिकार)

इंडिया फॉर सेफ फूड कार्यक्रम अंतर्गत जैविक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना, कृषि में कीटनाशकों और रसायनों का कम से कम उपयोग हो तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, इस हेतु भोपाल एवं हरदा में संयुक्त प्रयासों से कार्यक्रम किए गये।

संगोष्ठी का आयोजन:

इंडिया फॉर सेफ अभियान अंतर्गत **रसायन मुक्त, जी एम मुक्त, सुरक्षित भोजन हमारा अधिकार** विषय पर संगोष्ठी का आयोजन भोपाल, इन्दौर एवं हरदा जिले में किया गया। कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, आम नागरिक सहित कई युवा साथी सम्मिलित हुए।

नुककड़ नाटक का आयोजन

आम जनता तक इस विषय को पहुँचाने के लिए उद्देश्य से भोपाल, इन्दौर, हरदा एवं खरगोन शहर के में 15 नुककड़ नाटकों का आयोजन किया गया। नुककड़ नाटकों के माध्यम से 2000 लोगों तक सुरक्षित भोजन का संदेश पहुंचाया गया।

पम्फलेट वितरण

कार्यक्रम के अंतर्गत आम नागरिकों को पम्फलेट वितरित भी किए गये जिसमें रसायन युक्त खाद्य पदार्थों से सेवन करने से हम पर होने वाले प्रभाव की जानकारी का उल्लेख है तथा इस अभियान से जुड़ने का आह्वान है। भोपाल, इन्दौर, हरदा एवं खरगोन शहर में लगभग 5000 पम्फलेट का वितरण किया गया।

लोगो द्वारा याचिका दर्ज करवाना

अभियान का उद्देश्य यह भी है कि जनता को सुरक्षित भोजन मिलना सुनिश्चित हो इसकी सरकार जिम्मेदारी ले। अतः इस अभियान के अंतर्गत लोगो को जागरूक कर उनके द्वारा केन्द्रीय कृषि मंत्री के नाम याचिका दर्ज करवाई गई।

भोपाल और इन्दौर शहर की तरह ही हरदा में भी लोगों याचिकाएँ भरवाई गई जिसमें लगभग 1200 लोगों ने कृषि मंत्री के नाम अपनी याचिकाएँ दर्ज कराई।





SYNERGY SANSTHAN
BALANCE SHEET
AS ON 31 MARCH 2013

Liabilities	Amount	Amount	Assest	Amount	Amount
<u>General Fund</u>			<u>Fixed Assets</u>		149275.00
As per last year	2140		(As per shedule-D)		
Add : surplus Trf. From			<u>Security Deposit</u>		2000.00
Income & Expenditure A/c	550217	552357.00	(As per shedule-E)		
Corpus Fund		15000.00	<u>Current Assets, Loans &</u>		
<u>Undseured loan</u>		271160.00	<u>Advances</u>		
(As per shedule-A)			Sundry Debtors		37000.00
<u>Current Leabilities &</u>			<u>Cash & BankBalances</u>		744620.00
<u>Provisions</u>			(As per shedule-F)		
Sundry Creditor		21000.00	<u>Loans & Advance</u>		47422.00
(As per shedule-B)			(As per shedule-G)		
<u>Provisions</u>		120800.00			
(As per shedule-C)					
		980317.00			980317.00

**Notes on Accounts forming part of
Balance Sheet are Annexed**

Exanined and found in accordance with
books of Accounts
For: Meeta Agrawal & Co.
Chartered Accountants

Place : Harda

Chairmain

Meeta Agrawal

Date 3-9-2013

Proprietor

SYNERGY SANSTHAN
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNTS
FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH 2013

Expenditure	Amount	Income	Amount
To, Programme Activity exp. (As per shedule-H attached)	84850.00	By, Programme Recipts (As per shedule-I attached)	2245543.00
Asha Training Project	935964.00	By, ChildLine Project	253750.00
To, ChildLine Project	443749.00	By,LEPRA Society	401639.00
To, Open Shelter Home	247500.00	By, Award Rcceived from Chief Minister	100000.00
To, Youth Enterprenurship Proj.	48400.00	By, Consaltncy Income	20000.00
To, AXSHYA Project	398774.00	By, Membership Fees	8000.00
To, NRC Study Project	207713.00	By, Bank Intrest	5022.00
To, Volunteer Capcity Building	16000.00	By, Other Income	700.00
To, Bank Charges	4181.00		
To, Office Rent	35750.00		
To, Office Mangement	2000.00		
To, Travelling	4500.00		
To, Audts fee	4500.00		
To, Professional Charges	4300.00		
To, Depreciation	46256.00		
To, Surplus carried to Bal. Sheet	550217.00		
	3034654.00		3034654.00

**Notes on Accounts forming part of
Balance Sheet are Annexed**

Exanined and found in accordance with
books of Accounts
For: Meeta Agrawal & Co.
Chartered Accountants

Place : Harda
Date 3-9-2013

Chairmain

Meeta Agrawal
Proprietor

SYNERGY SANSTHAN
RECEIPT & PAYMENT A/C
FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH 2013

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
<u>Opening Balances</u>		<u>Fixed Assets Purchase</u>	146883.00
Cash	75.00		
State Bank of Indore, Harda	23617.00		
		<u>Expenses</u>	
<u>Income</u>		<u>Programme Activity exp.</u>	84850.00
Programme Receipts	2208543.00	Asha Training Project	935964.00
ChildLine Project	253750.00	ChildLine Project	310749.00
LEPRA Society	401639.00	Open Shelter Home	247500.00
Award Received from	100000.00	Youth Entrepreneurship Proj.	48400.00
Chief Minister		AXSHYA Project	398774.00
Consultancy Income	20000.00	NRC Study Project	207713.00
Membership Fees	8000.00	Volunteer Capacity Building	16000.00
Bank Interest	5022.00	Bank Charges	4181.00
Other Income	700.00	Office Rent	35750.00
		Office Management	2000.00
Unsecured loan Received	213960.00	Travelling	4500.00
		<u>TDS Deducted</u>	36440.00
		Advances for WPSMCF	10982.00
		<u>Closing Balances</u>	
		AXIS Bank, Hara	2865.00
		ICICI Bank, Harda	37487.00
		State Bank of India, Hara	670378.00
		SBI (FCRA A/c)	3447.00
		SBI, Harda (FDR A/c)	30000.00
		Cash	443.00
Total Rs.	3235306.00	Total Rs.	3235306.00

**Notes on Accounts forming part of
Balance Sheet are Annexed**

Examined and found in accordance with
books of Accounts
For: Meeta Agrawal & Co.
Chartered Accountants

Place : Harda
Date 3-9-2013

Chairman

Meeta Agrawal
Proprietor

Our Supports, Thank You

- Child Line India foundation, Mumbai



- Hunger Project



- Public Health Foundation of India



- Pratham



- Ministry of Women and Child Development GOI



- Ministry of Health and Family Welfare, Govt of MP & NRHM



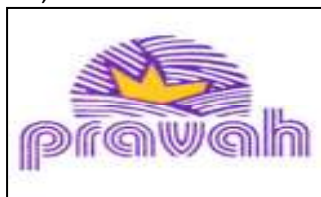
- LEPRa, India & Global Fund –Axshya Project



- Disaster Management Institute, Bhopal



- Pravah, Delhi



Child Rights Observatory , M.P.



Network we associate with them

- Child Right Resouce Center, Bhopal (an Initiative of Action aid)
- Child Right Obserbatory Madhya Pradesh- an initiative of Unicef
- Madhyachal Forum
- Jan Swasthya Abhiyan Madhya Pradesh
- Beej Swaraj Abhiyan
- Jan Pahal
- Association for Sustainable and Holistic Agriculture (ASHA)
- Madhya Pradesh Voluntary Health Association

Member in different govt. bodies

- Member of District Rogi Kalyan Committee
- Member of District SC&ST welfare monitoring and advisory committee
- Member District Mentoring Group of Community Action under NRHM
- Member District Disable Welfare and Rehabilitation Committee
- Member of PC PNDT act monitoring committee
- Member of District Aids control and prevention committee

Our Team

S.N.	Name	Post	Qualification	Experience
1	Miss Priti Bhaskar	Facilitator	MSW	2 Year
2	Mr. Pappu Pawar	Social Worker	MSW	5 Year,
3	Mr. Pawan Vishwakarma	Coordinator	MSW	5 Year
4	Mr. Irshad Khan	Facilitator	MSW	5 Year
4	Mr. Prem Mourya	Facilitator	MSW	4 Year
5	Mr. Ashok Sejkar	Facilitator	MSW	1 Year
6	Kanchana Chouhan	Facilitator	MA	1 Year
7	Mr. Vinod Kewat	Coordinator	MSW	5 Year
8	Mr. Narmada Chourasiya	Facilitator	MA	1 Year
9	Mr. Rakesh Pawar	Educator	MSW	4 Year
10	Mr. Vishwajit Viswas	Facilitator	MA	3 Year
11	Mr. Anil Yadav	Coordinator	BA	5 Year
12	Mr. Mukesh Hirve	Educator	MA	2 Year
13	Miss Rajni Gour	Facilitator	BA	3 Year
14	Mr. Priyesh Malviya	Field Coordinator	BA	4 Year
15	Mr. Vishan Devda	Field Coordinator	BSC	2 Year
16	Manisha Salve	Field Coordinator	12 th	1 Year
17	Mrs Binno Hirve	Field coordinator	BA	1 Year
18	Mr. Kailash	Field Coordinator	MA	1 Year
19	Mr. Bhagat Singh Rajput	Field Coordinator	BCA	4 Year
20	Mr. Nitin Bandey	Accountant	M. Com	2 Year
21	Mr. Chandan	Office assistant	12 th	2 year
22	Mr. Nilesh	Volunteer	12 th	1 Year
23	Mr. Ram Prasad Kajle	Field Coordinator	12 th	5 Year
24	Mr. Harish Sahu	Volunteer	BA	1 Year
25	Mr. Omprakash Malviya	Volunteer	BA	5 Year
26	Mr. Harnath More	Volunteer	BA	3 Year
27	Mr. Suresh Nimore	Volunteer	BA	3 Year
28	Miss Dipti	Field Coordinator	BA	fresher

सिनर्जी संस्थान

ए-5, पंडीत दीनदयाल आवासीय परिसर, सेन्टमेरी स्कूल के सामने, हरदा, मध्यप्रदेश

Ph: 07577-222089

Email: synergysansthan@gmail.com

Web address: www.synergysansthan.org